न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 48 / 2017
मामराज पुत्र गणपत जाति कुमावत निवासी गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार गुढागौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।
–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.12.2016 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौडजी जिला झुंझुनूं उनवानी मुकदमा सरकार बनाम मामराज अ0 धारा 91 राज0भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु0न0 224 / 2016

उपस्थिति :-
1. श्री धीरज कुमार बोयल एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, राजकीय अधिवक्ता – रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय – दिनांक 08.12.2017

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट भूमि ख0न0 720,721 में मकान बनाकर कई वर्षो से आबाद है एंव उक्त भूमि में अपीलान्ट का बिजली पानी के कनेक्शन भी लगा हुआ है तथा अपीलान्ट का पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के लिखित जबाब पर गौर नही किया गया और ना ही अपीलान्ट को साक्ष्य पेश एवं बहस करने का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायलाय ने पटवारी हल्का ग्राम दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम टोडी के ख0न0 720 रकबा 0.77 है0 किस्म नाला के 100 वर्ग मीटर एंव 271 रकबा 26.89 है0 किस्म गै.मु0 पहाड़ के 200 वर्ग मीटर रकबे पर अपीलान्ट द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमी माना है जबकि इस भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है। इसी ग्राम टोडी का अपीलान्ट के नाम राशनकार्ड परिचय पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड है तथा अपीलान्ट के आस–पास करीब 100 घरो की बस्ती है। न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का एवं गिरदावर व अन्य के किसी प्रकार के बयान नही लिए गये । जब तक पटवारी हल्का के बयान नही लिये जाते तब तक किसी भी प्रकार से अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमी नही माना

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

जा सकता । जब पटवारी हल्का के अधीनस्थ न्यायालय में कोई बयान ही नही हुयें तो योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी कैसे माना, यह अपने निर्णय मे हीं वर्णित नही किया है। जिस भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमण बताया है उस खसरा नम्बर में पानी की सरकारी टंकी बनी हुई है तथा उसी पानी की टंकी से अपीलान्ट ने पानी का कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्ट के आस पास सैकड़ो माकनात बने हुये है यानि उक्त भूमि पर बड़ी आबादी है। अन्त में अपील पेशकर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय ने पटवारी हल्का ग्राम दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम टोडी के ख0न0 720 रकबा 0.77 है0 किस्म नाला के 100 वर्ग मीटर एंव 271 रकबा 26.89 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ के 200 वर्ग मीटर रकबे पर अपीलान्ट द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के कोई बयान नही लिये है ना ही गिरदावर व अन्य किसी प्रकार के कोई बयान लिये। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर वर्षो से लोग मकानाता बनाकर व बिजली पानी के कनेक्शन इत्यादि लेकर आबाद हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । अतः अधीनस्थ न्यायलय नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2016 को खारिज फरमाया जावें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपीलान्ट द्वारा ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया के भूमि ख0न0 720 रकबा 0.77 है0 किस्म नाला के 100 वर्गमीटर एंव ख0न0 721 रकबा 26.89 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ के 200 वर्ग मीटर रकबे पर पक्का निर्माण पर अतिक्रमण किये जान पर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर

मैन पत्रावली का एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हल्का पटवारी दुड़िया की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम टोडी के भूमि ख0न0 720 रकबा 0.77 है0 किस्म नाला के 100 वर्गमीटर एंव ख0न0 721 रकबा 26.89 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ के 200 वर्गमीटर रकबे पर मकानात बनाकर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण जाना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वार अधीनस्थ न्यायालय में के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित होता हो। अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि गैर.मु. नाला एवं गै.मु. पहाड़ की राजकीय भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मेरी राय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

–आदेश–

अत उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट सररहीन होने के कारण खारीज की जाती है। नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2016 उनवान सरकार बनाम माराज मुकदमा नम्बर 224/2016 को यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को मेरे द्वारा अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं।